

24/2/20  
 पत्रावली पेश हुई। कमील प्रार्थी  
 हाफिरे। जकार तदतीमया 29/10/20  
 से सिद्धा जार्न हेतु तदतीम आरी के  
 सिद्धा जाले पेश धर्म अडल अधिकारी  
 वर। हेतु सिद्धा दिनांक 3/3/20 से  
 पेश ही पुनश्चप तदतीम प्री नैजारी  
 हा हुकि है काल पेश होने (जकार)  
 दिनांक दिनांक 3/3/20 से पेश ही  
 के

3/3/20  
 कमील प्रार्थी हाफिरे। काले पेश  
 होने चालन सिद्धा। अडल TDR  
 हेतु कमील दिनांक 19/3/20 से  
 पेश ही के

24-09-2020

पकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
 पत्र सिद्धा तदतीम न्याय हिन में स्वीकार किया  
 जाने पर पत्रावली में कोविड-19 संक्रमण के चलते  
 नियत इकजाही पेशी दिनांक 29-10-2020 से  
 तदतीम की जाकर आज पेश हुई।


पकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि  
 प्रकरण में अप्रार्थी लं 1 की उमिर से इकजाही  
 जकार पेश है चुका है तथा अप्रार्थी लं 2 का  
 जकार भी आ चुका है किन्तु प्रकरण में इकजाही  
 पेशी नियत होने के कारण अप्रार्थी लं 2 का जकार  
 रेकार्ड पर नही आ सका।

अप्रार्थी लं 2 की ओर से पूर्व में दिनांक  
 07-08-2020 को प्रस्तुत जकार को अभिलेख



24/9/20  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)

पर लिया जाता है। प्रकरण में वहल वकील प्रार्थी  
सुनी गई। दौराने वहल वकील प्रार्थी ने अपने  
प्रार्थना - पत्र में अंकित तथ्यों की दौराने हुए  
मुताबिक अनुरोध प्रा० पर स्वीकार करते हुए  
निर्णय पारित फरमाने का आदेश प्रदान करने  
का निवेदन किया।



पत्रावली व पत्रावली पर उपल  
व्य राजस्व रेकार्ड, पेशाक्रुदा इच्छाली जवाब  
व अप्रार्थी सं० 2 के जवाब आदि का अवलोकन  
किया गया। प्रंति अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थी के प्रा०  
पर के तत्पर्यन में इच्छाली जवाब पेश किया है  
एवं अप्रार्थी सं० 2 ने प्रार्थी द्वारा पांछित दुक-  
स्ती किये जाने का उचित बताया है। अतः प्रार्थी  
का प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया  
जाता है कि :-

निर्णय

तन ग्राम दायरा अवस्थित कृषि भूमि खानों  
4086/977 रकबा 0.31 है जो नक्शों में पूर्वी तरफ  
तरमीम हो गया उत्तरी खानों 977/1 रकबा  
0.78 है में पश्चिमी तरफ तरमीम किया जाकर  
तथा खानों 4086/977 रकबा 0.31 है के नक्शा  
के स्थान पर खानों 977/1 रकबा 0.78 है में  
शामिल कर खानों 977/1 की तरमीम पूर्वी तरफ  
दुरुस्ती मुताबिक नजरी नक्शा किये जाने के  
आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार पतेला से  
प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 07-08-2020 के संलग्न  
नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। मुताबिक  
निर्णय राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद हेतु तह-  
सीलदार पतेला को तहसील आदेश जारी हो। पत्रावली  
कैसल कुमार होकर नम्बर से उस हो तथा बाद तह-  
सील दायिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक  
24-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा  
सहित जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/20  
(राकेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी RAS  
खण्डला सिविल (सीकर)